

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक : 254 / दो-06-140 / 19

शिवपुरी, दिनांक- 30 / 06 / 21

श्री पवन कुमार शंखवार, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी का दिनांक 30.04.21 एवं 01.05.21 कुल 02 दिवस का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर अवकाश लेखा में जोड़ा जाना तथा दिनांक 30.04.21 से 04.06.21 तक कुल 36 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार शंखवार को पुनः अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री पवन कुमार शंखवार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री शंखवार के अर्जित अवकाश लेखा में 173 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही / -

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक 8/1993 / दो-06-140 / 19

शिवपुरी, दिनांक- 01 / 07 / 21

प्रतिलिपि :-

- 1- श्री पवन कुमार शंखवार, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 शिवपुरी।
- 2- लेखापाल/सांख्यिकी लिपिक जिला मुख्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म०प्र०।

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म0प्र0 ॥

॥ आ दे श ॥

क्रमांक:- 253/दो-6-67/18

शिवपुरी,दिनांक-30/06/2021

श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी का दिनांक 12.06.21 का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाकर अवकाश लेखा में जोडा जाना तथा दिनांक 12.06.21 से 26.06.21 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सक्सेना को पुनः द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी दर से देय होगा जो अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि, श्री अतुल सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी के पद पर कार्यरत रहते।

श्री सक्सेना के अर्जित अवकाश लेखा में 113 दिवस का स्वत्व शेष है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म.प्र.।

पृष्ठां.क्रमांक: A/921/दो-6-67/18
प्रतिलिपि :-

शिवपुरी,दिनांक. 01/07/2021

- 1- मान्. रजिस्ट्रार जनरल महोदय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- श्री अतुल सक्सेना, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश करैरा जिला शिवपुरी।
- 3- लेखापाल/सांख्यिकी लिपिक जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी, म0प्र0।